रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 1975/भाद्र 3, 1897

No. 322] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 1975/BHADRA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 25th August 1975

S.O. 446(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Aluminium (Control) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Aluminium (Control) Fourth Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Aluminium (Control) Order, 1970 in sub-clause (1) of clause 4B, for the words "by such other officer or authority", the words "by such authority or person" shall be substituted.

[No. F. 5(191)/75-Met.I]

S. K. MUKHERJEE, Addl. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1975

का० आ० 446 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है ; अर्थात:—

1. (1) इस आदेश को एल्यूमिनियम (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1975 कहा जायेगा ।

(2) यह तत्काल लागू होगा ।

2. एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 में धारा 4-बी की उपधारा (1) में "ऐसे अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा" शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० फा० 5(191)/75-पेट० I]

एस० के० मुखर्जी, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975